

कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलक्टर, दौसा

H SINGH CORRESPONDENCE ADD:- ROOM NO. 118 BLOCK NO.1, CGO COMPLEX, LODHI ROAD, NEW DELHI 110003

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति० जिला कलक्टर दौसा, जिला दौसा।

अपील सं० 15/2021

निर्णय

दिनांक : 15.04.2021

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी, अति० जिला कलक्टर दौसा, जिला दौसा से सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वांछित सूचना/नकल हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी को वांछित सूचना/नकल निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हुई। इसी से पीडित होकर यह ऑनलाईन अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। लोक सूचना अधिकारी, अति जिला कलक्टर दौसा को ऑनलाईन प्राप्त पत्रों की छाया प्रति प्रेषित कर संबंधित को वांछित नकल/सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जांच टिप्पणी मँगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी, अति जिला कलक्टर दौसा, जिला दौसा से संबंधित है। आवेदक द्वारा इस न्यायालय में ऑनलाईन अपील प्रस्तुत करने पर लोक सूचना अधिकारी, अति जिला कलक्टर दौसा, जिला दौसा को इस कार्यालय के पत्रांक:डीएम/कोर्ट/2021/1001 दिनांक 23.3.2021 एवं स्मरण पत्रांक: डीएम/कोर्ट/2021/1069 दिनांक 01.04.2021 द्वारा पत्र जारी कर प्रार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट मय टिप्पणी चाही गई। लोक सूचना अधिकारी, अति जिला कलक्टर दौसा से प्राप्त पत्रांक: आरटीआई/2021/334 दिनांक 06.04.2021 द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रभारी अधिकारी डी०एम कोर्ट कलेक्ट्रेट दौसा द्वारा उनके पत्रांक 1074 दिनांक 05.04.2021 द्वारा आवेदक को सूचना दे दी गई है। परन्तु उपतहसीलदार सैंथल से सूचना अप्राप्त है। अपीलांत द्वारा चाही गई सूचना/नकल बिन्दु संख्या 1,3,4,5 के संबंध में अपीलांत को सूचना की वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जा चुका है एवं बिन्दु संख्या 02 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी उपतहसीलदार सैंथल से कोई जबाब प्राप्त नहीं होने से स्पष्ट होता है कि अपीलांत को बिन्दु सं० 2 की सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांत आंशिक स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत आंशिक स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी, उपतहसीलदार सैंथल जिला दौसा को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलांत को वांछित सूचना/नकल आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर नियमानुसार उपलब्ध करावें। संबंधित को निर्णय की प्रति प्रेषित करें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, दौसा